संख्या-26/2022/657/तेइस-7-2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(व्यवस्थापन-ग वर्ग),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 17 नवम्बर, 2022

विषय:- स्व0 श्री रामगुलाम गुप्ता, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड-2 (प्र0प0), लोक निर्माण विभाग, उरई के स्वयं की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूति।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1670व्यग/02व्यग(71)/2021, दिनांक 15-07-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री रामगुलाम गुप्ता, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड-2 (प्र0प0), लोक निर्माण विभाग, उरई के स्वयं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा रू0 6,00,270/-(रूपये छः लाख दौ सौ सत्तर मात्र) का वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-54 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2059-लोक निर्माण कार्य-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन-03-निदेशन-49-चिकित्सा व्यय " को संशोधित करते हुए उक्त भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ-01 सिविल-800 अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402- दिनांक 08 नवम्बर 2000 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों व उनके आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49 चिकित्सा व्यय " में किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में शासनादेश संख्या- 6/2022/1333/तेइस-7-2021, दिनांक 31-01-2022 को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्व0 श्री रामगुलाम गुप्ता, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड-2 (प्र0प0), लोक निर्माण विभाग, उरई के स्वयं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा रू0 6,00,270/-(रूपये छः लाख दौ सौ सत्तर मात्र) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

54 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2059-लोक निर्माण कार्य-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन-03-निदेशन-49-चिकित्सा व्यय " को संशोधित करते हुए उक्त भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ-01 सिविल-800 अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402- दिनांक 08 नवम्बर 2000 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों व उनके आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49 चिकित्सा व्यय " मद के नामे डाला जायेगा। शासनादेश दिनांक 31-01-2022 में अंकित अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-26/2022/657(1)/तेइस–7–2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी,बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- कोषाधिकारी, उरई(जालौन)।
4- मुख्य अभियन्ता(मु0-2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, झांसी ।
6- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2(प्र0प0), लोक निर्माण विभाग, उरई।
7- श्रीमती ममता गुप्ता पत्नी स्वर्गीय श्री रामगुलाम गुप्ता, मकान नं0-871 तुलसी नगर, उरई, जिला जालौन।
8- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।